

सिंचाई प्रमुख अभियन्ता

आस-व्ययक कन्नौज

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-1352/आईवी/227-10वीं/अनु0-94/गण्डक/संगठन/4711/2017-18

नियंत्रक दिनांक नॉं. 2 | 2018

कानूतिक ड्राफ

शासनादेश संख्या-95/2016/044/सस्ताईस-सि-2-2016-186 बजट/2016-17, दिनांक-19.03.2018 द्वारा एक अदद मानू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के आस-व्ययक के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना में नाबाई पोषित मर के अन्तर्गत एकमुश्त (घालू) बजट व्यवस्था में से रु 165.43 लाख (रु एक करोड़ पैसठ लाख तैतालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्यन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनबंटन/प्राधिकृत किया जाता है -

(धनराशि लाख रु० में)

| क्र० सं० | लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम | मुख्य अभियन्ता संगठन | आवंटित धनराशि |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना 01-बाढ़ नियंत्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबाई पोषित) 24-वहत निर्माण कार्य | | |
| 1 | जनपद देवरिया में गुरा नदी के बायें तट पर निर्मित पिढा करनपुर तटबंध के कि०मी 4.300 से 4.880 तक ग्राम जगत मझा एवं करनपुर के समीप बाढ़ सुरक्षा की परियोजना। (Latitude:-26°424943N, Longitude:-83.5560484E) | गण्डक, गोरखपुर। | 165.43 |

(रु एक करोड़ पैसठ लाख तैतालीस हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-19.03.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है। आवंटन आदेशों में शासनादेश दिनांक-19.03.2018 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-1 से 27 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जाए तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित न की जाये।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-1352 (1)/आईवी/तददिनांक - 21-03-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सि०वि०, उ०प्र०, गोरखपुर को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
7. विला नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश छायाप्रति सहित।
8. अवीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अधिसासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।